उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–27 का उत्तर।

| | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 27(क) | क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा मंच, आजमगढ़ का रजिस्टर्ड स्पीडपोस्ट पत्र जो कि मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश व प्रमुख सचिव (राजस्व) उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को सम्बोधित जनपद–आजमगढ़ तहसील–फूलपुर, ग्राम पंचायत–खण्डौरा में व्याप्त विभिन्न अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में था, दिनांक 06.10.2023 को कार्यालयों में प्राप्त हुआ है? | जी हॉ। |
| (ख) | यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा उन पर बिन्दुवार जाँच के बाद अब तक क्या–क्या कार्यवाही हुई है? | पत्र के मुख्य बिन्दु एवं उन पर प्राप्त उत्तर की स्थिति निम्नवत है :–<br>(1)–मा0 उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या सी–49376 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 04.02.2011 के बावजूद ग्राम पंचायत खण्डौरा के क्षेत्रीय लेखपालों ने बड़े पैमाने पर घूस लेकर खतौनियों में फर्जी इन्द्राज कर दिया है। लगभग दो दर्जन ऐसे कास्तकार हैं जिनका पट्टा खारिज हो गया है लेकिन फिर भी खतौनियों में विगत कई वर्षों से तमाम कास्तकारों के नाम लेखपालों द्वारा दर्ज कर फर्जी ढंग से खतौनी तैयार की गयी है।<br>**उत्तर**–राजस्व ग्राम खण्डौरा की खतौनी 1415 से 1420 के खाता संख्या 575 पर ज0वि0अधि0 की धारा 33/39 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 01.02.1999 द्वारा फर्जी प्रविष्टि खारिज कर दी गई। तदोपरान्त दिनांक 10.12.1999 को मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 26.11.1999 को अंकित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश दिनांक 04.02.2011 के द्वारा धारा 33/39 के आदेश दिनांक 01.02.1999 को बरकरार रखा गया। इसी क्रम में वर्तमान खतौनी में फर्जी प्रविष्टि को निरस्त करते हुए भूमि ग्राम समाज में दर्ज है।<br>(2)– यह कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी उसका अमलदरामद खतौनी में विगत कई वर्षों तक नहीं किया गया और उसके कई वर्षों बाद जब मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का इन्द्राज खतौनी में किया गया तो लेखपालों द्वारा मनमाने ढंग से कई लोगों का नाम जिनका कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पट्टा खारिज कर दिया गया था उनके नाम भी राजस्व अभिलेखों में मनमाने ढंग से दर्ज कर दिया गया है।<br>**उत्तर**–मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश दिनांक 04.02.2011 की प्रमाणित प्रतिलिपि श्री राम अचल पुत्र मुरली निवासी ग्राम खण्डौरा द्वारा दिनांक 17.05.2018 को अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी, जिसका अमलदरामद आर–6(मालिकान रजिस्टर) पर दिनांक 07.06.2018 को दर्ज किया गया है। (जो खतौनी 1421 से 1426 फसली में दर्ज है) इसी क्रम में ( खतौनी 1427 से 1432 फसली ) वर्तमान खतौनी में फर्जी प्रविष्टि को निरस्त करते हुए भूमि ग्राम समाज में दर्ज है।<br>(3)– यह कि इसी बीच जिन कास्तकारों का फर्जी आवंटन दिनांक 04.02.2011 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था उन लोगों ने वर्ष 2021–22 में उन नम्बरों की मिट्टी मानक के ठीक विपरीत |

| | | |
|---|---|---|
| | | 8–10 फुट गहरी खुदाई करके तत्कालीन लेखपाल कानूनगो की मिली भगत से अवैध ढंग से मिट्टी बेच दी गयी।<br>**उत्तर**– ग्राम खण्डौरा में विवादित भूमि से वर्ष 2021–2022 में कोई मिटटी खनन नहीं किया गया है।<br>(4)– उ0प्र0 शासन के आदेश के बाद जुलाई अगस्त, 2023 के महीनों में जब लाल झण्डी लगाकर उन नम्बरानों को चिन्हित करते हुए तत्काल उन पर खेती न करने की चेतावनी दी गयी थी। इसके बावजूद खसरा नं0–19 मि0 एवं 1077 मि0 आदि पर अवैध धान की रोपाई की गयी।<br>**उत्तर**– प्रश्नगत भूमि गाटा संख्या 1077 रकबा 1.083हे0 संक्रमणीय भूमिधर के कास्तकारों के नाम दर्ज है, तथा गाटा संख्या 19 संक्रमणीय भूमिधर के कास्तकारों एवं ग्राम समाज में दर्ज है। गाटा संख्या 19 मि0 रकबा 3.460 हे0 भूमि कास्तकारों के नाम दर्ज है तथा गाटा संख्या 19मि0 रकबा 0.692हे0 ग्राम सभा की भूमि दर्ज है जिससे कब्जा हटा दिया गया है। मौके पर जो धान की फसल खड़ी बताई गयी है वह संक्रमणीय भूमिधर के कास्तकारों की है।<br>(5)– इस क्षेत्र में कार्यरत कानूनगो व लेखपाल द्वारा अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।<br>**उत्तर**–वर्ष 2022 में राजस्व टीम द्वारा मौके पर अवैध कब्जेदारों का ग्राम सभा भूमि से कब्जा हटवाया गया।<br>(6)– राम उजागिर, छंगू भर पुत्र रामलाल, बन्द्री पुत्र बासुदेव, इन्द्रजीत पुत्र मुनेश्वर यादव, राजितराम, विनोद कुमार पुत्रगण स्व0 रामकुमार यादव, राजितराम श्रीराम पुत्र स्व0 रामरूप, रामकुमार, छोटेलाल पुत्र अभिराज यादव, आशीष पुत्र स्व0 राम अजोर यादव, तेजबहादुर पुत्र स्व0 राममूरत यादव, लालबहादुर, समरबहादुर पुत्र स्व0 हरीराम यादव, सभाजीत पुत्र स्व0 रामकरन यादव, बखेडू पुत्र स्व0 वंशू यादव, लालचन्द्र, फूलचन्द्र पुत्र हरीलाल यादव, रामदवर, रामशब्द पुत्रगण स्व0 शेरई यादव ने ग्रामसमाज की भूमि पर अवैध ढंग से मकान बनाया है जिसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर भूमि खाली कराया जाना न्यायहित में परम आवश्यक है।<br>**उत्तर**–ग्राम खण्डौरा के गाटा संख्या 813 रकबा 1.286 हे0 व 1050 रकबा 3.358हे0 भूमि है जिसमें से गाटा संख्या 813मि0 रकबा 0.662हे0 व गाटा संख्या 1050 रकबा 1.063हे0 भूमि बतौर संक्रमणीय भूमिधर के कास्तकारों के नाम दर्ज हैं तथा गाटा संख्या 813मि0 रकबा 0.584 बंजर व 0.040हे0 आबादी तथा गाटा संख्या 1050मि0 रकबा 2.182 ऊसर, 0.113हे0 आबादी के रूप में दर्ज है। राम उजागिर आदि के मकान संक्रमणीय भमिधर की भूमि व आबादी की भूमि पर बने हुए हैं। |
| (ग) | क्या फर्जी खतौनी तैयार करने वाले व अवैध कब्जा कराने वालों के मामले में दोषी पाये गये तत्कालीन लेखपाल व कानूनगो तथा अन्य राजस्वकर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? | खतौनी फसली सन् 1391–1396 पर फर्जी अमलदरामद कर पट्टा दिखाने वाले तथा अवैध कब्जा देने वाले लेखपाल सियाराम सिंह जनपद अम्बेडकर नगर से वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त होकर वर्ष 2021 में मृतक हो गये हैं। |
| (घ) | यदि नहीं, तो क्यों? | उपरोक्तानुसार। |
| (ड़) | यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही करायेंगे? | उपरोक्तानुसार। |

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।